[2019] 4 एस. सी. आर. 995

मंत्री तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

फॉरवर्ड फाउंडेशन और ओआरएस।

(2016 की सिविल अपील No.5016)

05 मार्च, 2019

[ए. के. सिकरी, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010। 14 , 15 , 16 , 18 और 22

- आर्द्रभूमि (प्रबंधन संरक्षण) नियम, 2010-कर्नाटक नगर और देश योजना अधिनियम, 1961-आवेदकों ने आवेदन दायर किया

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के समक्ष यह तर्क देते हुए कि पारिस्थितिक रूप से

कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र द्वारा संवेदनशील भूमि आवंटित की गई थी।

विकास बोर्ड (के. आई. ए. डी. बी.) उत्तरदाताओं को सं. 9 & 10 सेटिंग के लिए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, वाणिज्यिक और आवासीय

कॉम्प्लेक्स, होटल और बहु-स्तरीय कार पार्क-यह आगे भी विवादित था

कि भूमि में निर्दिष्ट संपत्तियों के संबंध में राजस्व मानचित्र

पट्टा समझौतों में कई राजकालूवे (तूफान जल निकासी) थे-यह आरोप लगाया गया था कि उक्त परियोजना दो राजकालूवे पर अतिक्रमण कर रही थी-यह भी आरोप लगाया गया था कि उत्तरदाताओं ने प्राप्त किया था

भौतिक तथ्यों को छिपाकर एन. ओ. सी. और निर्माण शुरू किया

झील जलग्रहण क्षेत्र और घाटी का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र,

वैधानिक अनुपालन न्यायाधिकरण की पूर्ण अवहेलना करते हुए विचाराधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए समिति का गठन किया गया और

रिपोर्ट प्रस्तुत करें-इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 9 को निर्देश दिया कि

रुपये का जुर्माना दें। 117.35 करोड़ और प्रतिवादी संख्या 10 को रुपये का जुर्माना देना होगा। 22.5 पर्यावरण और पारिस्थितिकीय बहाली के लिए करोड़-उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलार्थी

तर्क दिया कि मूल आवेदन रखरखाव योग्य नहीं था जैसा कि उसने किया था

एस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। 14 (1) और अधिनियम के 14 (3) और यह था सीमा द्वारा वर्जित क्योंकि यह तारीख से छह महीने के भीतर दायर नहीं किया गया था

किस कारण पर कार्रवाई की गईः का अधिकार क्षेत्र न्यायाधिकरण यू/एस. एस. प्रदान किया जाता है। 14 , 15 और अधिनियम का 16 - एस. 14

प्रदान करता है

पर्यावरण से संबंधित) शामिल है-हालाँकि, ऐसा प्रश्न होना चाहिए अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है

मैं भी, अधिनियम की धारा 15 (1) (सी) शक्ति का एक पूरा द्वीप है और

अधिकार क्षेत्र आर/डब्ल्यू। अधिनियम की धारा 20-जब भी पर्यावरण और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पारिस्थितिकी से समझौता किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है, न्यायाधिकरण एस लागू कर सकता है। 20 हित में सुधारात्मक उपाय करने के लिए पर्यावरण-एनजीटी अधिनियम एक लाभकारी कानून होने के कारण, शक्ति

न्यायाधिकरण को दी गई व्याख्या को संकीर्ण रूप से नहीं पढ़ा जाएगा-एक ऐसी व्याख्या जो पर्यावरण के हितों को आगे बढ़ाती है, उसे व्यापक रूप से पढ़ा जाना चाहिए-इसके अलावा, एक ऐसी व्याख्या जो न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के पक्ष में है, उसे अधिकार क्षेत्र को छीनने के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए-जहां तक सीमा है

एस। 14 अधिनियम के तहत, यह एक याचिका थी। 15 अधिनियम और इस प्रकार इसे उस तारीख से 5 साल के भीतर दायर किया जा सकता है जिस दिन इस तरह का कारण था। राहत पर मुआवजा पहले आया-इसके अलावा, निष्कर्षों पर पहुंचे

न्यायाधिकरण न केवल अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है, बल्कि समिति की रिपोर्ट और विशेषज्ञ सदस्यों के निरीक्षण नोट द्वारा समर्थित पक्षों द्वारा किए गए अभिवचनों पर भी आधारित है-इसलिए, निर्देश पारित किए गए और न्यायाधिकरण द्वारा दोनों परियोजना प्रस्तावकों पर लगाया गया जुर्माना वैध और टिकाऊ है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 - धारा 22-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा। 100 आयोजित किया गयाः एस। 22 एस में निर्दिष्ट आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करता है। 100 सी. पी. सी.-यू / s.100 सी. पी. सी., एक अपील केवल इस आधार पर दायर की जा सकती है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जैसा कि द्वारा तैयार किया जा सकता है

अपीलीय न्यायालय-यू/एस के तहत अपील का दायरा। 22 , इसलिए, के निर्णय से उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तक सीमित है

न्यायाधिकरण।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 - एस. 22-अपीलार्थियों की मांग की गई

उच्चतम न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक मैट्रिक्स की पुनः मूल्यांकन की पद्धति के माध्यम से एक तथ्यात्मक समीक्षा एनजीटी अधिनियम की धारा 22-आयोजितः यह तय किया जाता है कि केवल इसलिए कि अपील का उपाय इसके खिलाफ प्रदान किया गया है।

केवल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर न्यायाधिकरण का निर्णय, जो वास्तव में अपीलार्थियों को पूरे मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स की पुनः सराहना की मांग करने के लिए अपनी अपील को आंदोलन करने की अनुमति नहीं देता है-अपीलार्थी साक्ष्य की थोक पुनः प्रशंसा की मांग करने के लिए अपने पूरे मामले पर फिर से बहस करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं और जिस तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया है, वह प्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार्य है। 22 - तथ्यों की नई सराहना या पुनर्मूल्यांकन नहीं हो सकता है।

और इस प्रावधान के तहत एक वैधानिक अपील में साक्ष्य।

मंत्री तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010। 14 और 15-आयोजितः अधिनियम की धारा 15 धाराओं से स्वतंत्र शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। 14

इसके अलावा, s. 14 (3) को s के साथ जोड़ा गया है। 15 (3) न्यायाधिकरण के समक्ष अलग-अलग आवेदन दायर करने के लिए अधिनियम के अलग-अलग प्रावधान हैं

सीमा की विशिष्ट अवधियों के साथ, जिससे यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है कि न्यायाधिकरण की अधिकारिता इन धाराओं (अर्थात धाराओं) से प्रवाहित होती है। 14 और एस। 15 अधिनियम की) स्वतंत्र रूप से-एस में प्रदान की गई सीमा। 14 कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न होने की तारीख से 6 महीने की अवधि है और जबकि एस में। 15 यह 5 वर्ष है-इसलिए, एस रखने के लिए विधायी इरादा स्पष्ट है। 14 और एस। 15 स्व-निहित क्षेत्राधिकारों के रूप में।

2016 के C.A.No.5016 और 2016 के C.A.No.8002-8003 को खारिज करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया पहला प्रश्न आवेदन की रखरखाव के संबंध में है

न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण की स्थापना एक के तहत की गई है

अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 13 में प्रदत्त संवैधानिक अधिदेश

पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए भारत के संविधान का।

न्यायाधिकरण प्रभावी और प्रभावी होने के लिए एक विशेष न्यायिक निकाय है।

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान

वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन। अधिकार। स्वस्थ पर्यावरण को अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना गया है

न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के लिए।

इसलिए, न्यायाधिकरण के पास प्रवर्तन के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र है पर्यावरण संबंधी अधिकार। [पारस 39 और 40] [1025-डी-एफ]

2. न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र निम्नानुसार प्रदान किया गया है -

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 14,15 और 16। धारा 14 सभी दीवानी मामलों पर अधिकारिता प्रदान करती है जहां - पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न (सहित)

पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन) शामिल है। हालाँकि, इस तरह का सवाल कार्यान्वयन से उत्पन्न होना चाहिए अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अधिनियम। [पैरा 41] [1025-एफ-जी]

3. न्यायाधिकरण के पास अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) के तहत पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान करने का भी अधिकार क्षेत्र है।

[2019] 4 एस. सी. आर. के तहत उत्पन्न होने वाले प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति।

इसके अलावा, धारा 15 (1) (बी) और 15 (1) (सी) के तहत न्यायाधिकरण क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और पर्यावरण की बहाली के लिए प्रावधान कर सकता है।

क्षेत्र या क्षेत्र जो न्यायाधिकरण उचित समझे। उल्लेखनीय है कि धारा 15 (1) (बी) और (सी) को अधिनियम की अनुसूची I अधिनियमों से संबंधित नहीं बनाया गया है। ठीक है तो, यह एक झलक देता है

पर्यावरण की बहाली के लिए। [पैरा 42] [1025-एच; 1026-ए-बी] 4. अधिनियम की धारा 15 (1) (सी) अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित शक्ति और अधिकार क्षेत्र का एक पूरा द्वीप है। ये सिद्धांत

इस न्यायालय द्वारा कई न्यायिक निर्णयों के माध्यम से प्रस्तावित सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान को अब एनजीटी अधिनियम के तहत पर्यावरण न्यायशास्त्र के आधार के रूप में शामिल किया गया है। इसलिए, जहां कहीं भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से समझौता किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है, न्यायाधिकरण पर्यावरण के हित में पुनर्स्थापनात्मक उपाय करने के लिए धारा 20 लागू कर सकता है। [पैरा 43] [1026-सी-डी]

5. एनजीटी अधिनियम एक लाभकारी कानून होने के नाते, शक्ति

न्यायाधिकरण को दिए गए निर्णय को संक्षिप्त रूप से नहीं पढ़ा जाएगा। एक ऐसी व्याख्या जो पर्यावरण के हितों को आगे बढ़ाती है इसे व्यापक रूप से पढ़ा जाए। अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित धारा 15 (1) (सी) के तहत अपनी व्यापक पुनर्स्थापनात्मक शक्तियों के बिना न्यायाधिकरण का अस्तित्व, इसे अप्रभावी और दाँतहीन बना देगा, और विशेष रूप से पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना में विधायी इरादे के साथ विश्वासघात करेगा। न्यायाधिकरण, विशेष रूप से न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ पर्यावरण के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ गठित, पर्यावरण के हित में निवारक और पुनर्स्थापनात्मक उपायों का प्रावधान करने का कानूनी दायित्व रखता है। [पैरा 44] [1026-डी-एफ]

6. अधिनियम की धारा 15 शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है,

इसकी धारा 14 से स्वतंत्र। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 15 (3) के साथ जुड़ी धारा 14 (3), न्यायाधिकरण के समक्ष अलग-अलग आवेदन दायर करने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। सीमा अवधि, जिससे यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है कि न्यायाधिकरण की अधिकारिता इन धाराओं (यानी धारा मंत्री प्रौद्योगिकी पी. वी. टी.) से प्रवाहित होती है।

लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन

14 और अधिनियम का 15) स्वतंत्र रूप से। धारा 14 में दी गई सीमा उस तारीख से 6 महीने की अवधि है जिस दिन कार्रवाई का कारण पहली बार सामने आया था और जबकि धारा 15 में यह 5 साल है। इसलिए, धारा 14 और 15 को स्व-निहित क्षेत्राधिकार के रूप में रखने का विधायी इरादा स्पष्ट है। [पैरा 45] [1026-एफ-एच] 7. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 18 धारा 14 और 15 के तहत आवेदन दायर करने के अधिकार को मान्यता देती है। इसलिए यह

यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि धारा 14 न्यायाधिकरण को अधिकारिता प्रदान करती है जबकि धारा 15 केवल शक्तियों के साथ इसका पूरक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है। न्यायाधिकरण की विशिष्ट प्रकृति, इसके वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रदान की गई शक्तियों का विस्तार

अधिनियम के साथ-साथ अनुसूचित अधिनियम, संचयी रूप से, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि इन प्रावधानों की एकमात्र स्थायी व्याख्या न्यायाधिकरण को प्रभावी प्राधिकरण से ढकने के पक्ष में प्रावधानों को व्यापक रूप से पढ़ना होगा। एक ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के पक्ष में हो। अधिकार क्षेत्र को छीनने के बजाय। [पैरा 46] [1027-ए-सी]

8. अधिनियम की धारा 33 किसी भी असंगत चीज़ पर अधिनियम के प्रावधानों को एक प्रमुख प्रभाव प्रदान करती है। इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून या किसी ऐसे साधन में जो कानून के आधार पर प्रभावी हो। यह न्यायाधिकरण को अधिकार देता है

के. आई. ए. डी. अधिनियम, योजना अधिनियम, कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 ("के. एम. सी. अधिनियम") और बेंगलुरु के संशोधित मास्टर प्लान, 2015 ("आर. एम. पी".) में कुछ भी असंगत है। भारत के संविधान की सूची I अनुसूची VII की प्रविष्टि 13 के तहत अधिनियमित एक केंद्रीय कानून का राज्य विधानों पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा। परिणाम यह है कि न्यायाधिकरण किसी क्षेत्र में पर्यावरण की बहाली का प्रावधान करते समय, इन कानूनों या आर. एम. पी. के तहत क्षेत्र निर्धारण नियमों के विपरीत विशिष्ट झीलों और जल निकायों के आसपास बफर ज़ोन निर्दिष्ट कर सकता है।

[पैरा 47] [1027-सी-ई]

9. अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्न यह है कि याचिका समय द्वारा वर्जित है। अपीलार्थियों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 9 को 17.02.2012 पर पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए प्रमुख समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया गया था।

12.03.2012 और 14.03.2012। संशोधित भवन योजना को मंजूरी दी गई

30.08.2012 पर, जिसका पालन 10.08.2014 तक किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30.09.2013 . आवेदन उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर दायर किया जाना था जिस दिन इस तरह के विवाद के लिए कार्रवाई का कारण था। एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में पहली बार उत्पन्न हुआ है। मान लीजिए, वर्तमान आवेदन मार्च, 2014 में दायर किया गया है और

उनके अनुसार, यह सीमा की निर्धारित अवधि से बहुत अधिक है। इसके अलावा, मुख्य आवेदन के साथ देरी को माफ करने के लिए कोई आवेदन नहीं है। इसलिए, न्यायाधिकरण करेगा

देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। [पैरा 48] [1027-एफ-एच] 10. न्यायाधिकरण के समक्ष दायर 2014 का ओ. ए. सं. 222 अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन सरलीकरण नहीं था। यह एक ऐसा आवेदन था जिसमें एक विशिष्ट प्रार्थना की गई है।

झील विकास प्राधिकरण ("एलडीए") की रिपोर्ट का संदर्भ

इस परियोजना का बेलंदूर झील के जलग्रहण क्षेत्र में पारिस्थितिकी, जल विज्ञान और पर्यावरण पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। दस्तावेजों से स्थापित पर्यावरणीय क्षरण कार्रवाई के एक स्वतंत्र कारण को जन्म देगा। इसलिए, यह अधिनियम की धारा 15 के तहत एक याचिका थी और इस प्रकार यह उस तारीख से 5 साल के भीतर दायर किया जा सकता है जिस दिन इस तरह के मुआवजे या राहत का कारण पहली बार सामने आया था।

[पैरा 49] [1028-ए-डी]

11. वास्तव में, न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन में उस प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं था जिसके तहत यह किया जा रहा था

दाखिल किया। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि कानून के प्रावधान का गैर-उल्लेख या गलत उल्लेख किसी भी प्रासंगिकता का नहीं होगा, अगर न्यायालय के पास पारित करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र था

आदेश दें। यह केवल एक अनियमितता होगी और न्यायाधिकरण के आवेदन या न्यायिक आदेश को दूषित नहीं करेगी। [पैरा 50] [1028-डी-ई] मंत्री तकनीक पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन

12. न्यायाधिकरण ने इस आधार पर इंगित किया है कि

अगस्त 2015 की समिति की रिपोर्ट, कि अपीलार्थी ने बेलंदूर झील के 3 एकड़ 10 गुंटा का अतिक्रमण किया गया है और उक्त भूमि के चारों ओर एक चारदीवारी खड़ी की गई है। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया है कि परियोजना के प्रस्तावकों ने मास्टर प्लान का उल्लंघन किया है। उन्होंने अनिवार्य मंजूरी प्राप्त नहीं की है

कर्नाटक सरकार द्वारा गठित संवेदनशील क्षेत्र समिति। अभिलेख पर दी गई सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा कई अन्य उल्लंघन किए गए हैं। द.

न्यायाधिकरण ने इन सभी मुद्दों पर चर्चा की है। अभिलेख पर सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि एक निश्चित संभावना है

इन परियोजनाओं से पर्यावरण, पारिस्थितिकी, झीलों और आर्द्रभूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। [पैरा 52] [1028-जी-एच; 1029-ए-बी]

13. न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष केवल ये नहीं हैं

अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के साथ-साथ समिति की रिपोर्ट और विशेषज्ञ के निरीक्षण नोट द्वारा समर्थित पक्षों द्वारा की गई दलीलों के आधार पर

सदस्य। इसलिए, दोनों परियोजना प्रस्तावकों पर न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्देश और लगाया गया जुर्माना वैध और टिकाऊ है और किसी भी विकृति से पीड़ित नहीं है।

[पैरा 54] [1030-एफ-जी]

किशोर लाल बनाम। अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा

कॉर्प. (2007) 4 एससीसी 579: [2007] 6 एससीआर 139;

सर चुनीलाल वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सदी की कताई

और विनिर्माण [1962] 3 पूरक। एससीआर 549

- पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[1962] 3 पूरक। एससीआर 549

उस पर भरोसा करें

पै

रा 37

[2007] 6 एससीआर 139

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5016

2016 का

राष्ट्रीय संविधान के 04.05.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली 2014 के मूल आवेदन संख्या 222 में

के साथ

सिविल अपील सं। 8002-8003 , 12326 , 9227 , 10995 , 10993 , 10994 ,

10992 , 12157 , 12152 , 12156 , 12158 , 12160 , 12159 2016 का 4923-4924,1343,2017 का 14,966,2018 का 2246।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उदय होल्ला, अधिवक्ता। जनरल, शशि किरण शेट्टी, मनिंदर सिंह, धरुव मेहता, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल, आर. वेंकटरमानी,

माधवम शर्मा, सुश्री श्रीपर्णा दत्ता चौधरी, उदयादित्य बनर्जी, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, सरंस जैन, सुश्री तन्वी मनचंदा, नितिन पी., सुश्री प्रियंका एम. पी., ई. सी. अग्रवाल, देवाशीष भरुका, एस. जे. अमित, सुश्री ऋथिका गांबीर, ए. ऐश्वर्या कुमार, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, परीक्षित पी. अंगड़ी, चिनमय देशपांडे, गीत आहूजा, परीक्षित अंगड़ी, अनूप कुमार, ओ. पी. भदानी, राजेश महाले, आनंद संजय एम. नुली, धर्म सिंह, संदीप ग्रोवर, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, पाई अमित, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

2. सिविल अपील सं. में अपीलार्थी। 5016 2016 की और 2016 की 8002 8003 प्रत्यर्थी संख्याएँ हैं। 9 और 2014 के मूल आवेदन संख्या 222 में 10 (इसके बाद 'प्रत्यर्थी संख्या के रूप में संदर्भित)। 9 और 10 ')। उक्त आवेदन प्रत्यर्थी Nos.1 द्वारा यहाँ 3 पर दाखिल किया गया था (इसके बाद 'आवेदक' के रूप में संदर्भित)। उत्तरदाता सं। 4 इन अपीलों में 7 कर्नाटक राज्य और अन्य प्राधिकरण हैं। वे. उत्तरदाता संख्या के रूप में क्रमबद्ध किए गए थे। 1 आवेदन में 4 तक। उत्तरदाता सं। 12 और इसमें 13 को बाद में आवेदन में शामिल किया गया (संक्षेप में 'प्रेरित उत्तरदाताओं' के लिए)।

3. कर्नाटक राज्य ने सिविल अपील संख्या दायर की है। 4923-4924 2017 में, सामान्य स्थिति और दिशा संख्या (1) को चुनौती देते हुए, मनत्री तकनीक पी. वी. टी. शामिल थी।

लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

न्यायाधिकरण के दिनांक 04.05.2016 के आदेश में। अन्य अपीलें विभिन्न संस्थाओं द्वारा दायर की गई हैं, जो न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं थे, जो न्यायाधिकरण के दिनांक 1 के आदेश को चुनौती देते हैं क्योंकि यह झीलों के संबंध में 75 मीटर, प्राथमिक राजकालुव के संबंध में 50 मीटर, माध्यमिक राजकालुव के मामले में 35 मीटर के बफर/ग्रीन ज़ोन का निर्देश देता है।

विवादित क्रम में। 4. आवेदकों ने यह तर्क देते हुए 2014 का ओ. ए. No.222 दायर किया कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूमि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (संक्षेप में 'के. आई. ए. डी. बी.') द्वारा प्रतिवादी संख्या को आवंटित की गई थी। 9 और 10 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, वाणिज्यिक और आवासीय की स्थापना के लिए क्रमशः 23.04.2004 और 07.05.2004 दिनांकित अधिसूचनाओं के माध्यम से

मसौदा मास्टर प्लान में 'संरक्षित क्षेत्र' के रूप में पहचाना गया है। यह भी तर्क दिया गया कि भूमि पट्टा समझौतों में उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में राजस्व मानचित्र में कई राजकालुव (तूफानी जल निकासी) हैं। विचाराधीन विकास परियोजनाएं जलग्रहण क्षेत्र और आर्द्रभूमि क्षेत्र पर बैठती हैं जो राजकालुव्स को पानी देती हैं, जो बदले में बारिश के पानी को बेलंदूर झील में बहा देती हैं। इस प्रकार यह परियोजना 1.38 एकड़ और 1.23 एकड़ के दो राजकालुवों का अतिक्रमण करेगी। 5. वर्ष 2000 से 2012 तक के क्षेत्र की उपग्रह डिजिटल छवियां इन राजकालुवों पर अतिक्रमण के साथ-साथ निर्माण के तरीके को भी दर्शाती हैं। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (संक्षेप में 'एस. ई. ए. सी.'), जिसे राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (संक्षेप में 'एस. ई. आई. ए. ए.') की सहायता करनी थी, ने परियोजना की जांच करने के लिए विभिन्न तिथियों पर अपनी बैठकें आयोजित कीं। इसने अपीलकर्ता संख्या 9 को विचाराधीन परियोजना के लिए बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (संक्षेप में 'बी. डब्ल्यू. एस. एस. बी.') से एक संशोधित एन. ओ. सी. जमा करने की आवश्यकता थी। यह भी देखा गया कि यह परियोजना बेलंदूर झील और अगर झील के बीच स्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 9 को राजकालुवे के आसपास के बफर ज़ोन को बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने और यह भी प्रतिबद्ध करने का निर्देश दिया गया कि बफर ज़ोन में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। 11.11.2011 की बैठक में, यह दर्ज किया गया कि परियोजना ने उस पर्यावरणीय रूप से 14,438 कारों के लिए कार पार्किंग सुविधा का प्रस्ताव किया है।

संवेदनशील क्षेत्र।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. यह आरोप लगाया गया था कि 17,404 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए एनओसी जारी की गई थी। एमटीआरएस। जबकि निर्मित क्षेत्र, जैसा कि एस. ई. ए. सी. द्वारा उल्लेख किया गया है, 13,50,454.98 वर्ग कि. मी. है। एमटीआरएस। प्रत्यर्थी संख्या 9 ने भौतिक तथ्यों को छिपाकर और गलत तरीके से प्रस्तुत करके बी. डब्ल्यू. एस. एस. बी. से एन. ओ. सी. प्राप्त किया कि एन. ओ. सी. केवल आवासीय इकाइयों के लिए आवश्यक है जो कुल परियोजना का एक बहुत ही छोटा हिस्सा हैं। उत्तरदाता संख्या 9 ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण से संपर्क किया था।

मंजूरी प्राप्त करने के लिए बोर्ड (संक्षेप में 'के. एस. पी. सी. बी.'), जिसे सहमति आदेश में बताई गई शर्तों की पूर्ति के अधीन 04.09.2012 पर दिया गया था, जिसमें घाटी के साथ-साथ और झील की ओर बफर ज़ोन छोड़ना शामिल था। यह भी तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 9 को के. एस. पी. सी. बी. द्वारा सहमति देने में सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में एक शर्त भी शामिल थी और जब तक ऐसी मंजूरी नहीं दी जाती, तब तक कोई निर्माण शुरू नहीं होना था।

7. आवेदकों ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 9 ने शर्तों का उल्लंघन किया और परियोजना का निर्माण शुरू किया। वहाँ भी था

राजकालुवेस पर बफर ज़ोन और निर्माण के संबंध में एस. ई. ए. सी. की मंजूरी में बताई गई शर्तों का उल्लंघन। झील के जलग्रहण क्षेत्र और घाटी के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में वैधानिक नियमों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए निर्माण शुरू किया गया था।

अनुपालन। इन घोर अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए, आवेदक ने कहा कि भूमि को 'संरक्षित क्षेत्र' से 'आवासीय संवेदनशील क्षेत्र' में बदलना कानून का उल्लंघन है। परियोजना सही है एक नाजुक आर्द्रभूमि क्षेत्र के बीच जो विकास गतिविधि से बाधित नहीं होना चाहिए था। जलग्रहण क्षेत्र का नाजुक वातावरण गंभीर और अपूरणीय क्षति के संपर्क में आ गया है। इसने राजकलुवेस को बुरी तरह से परेशान और क्षतिग्रस्त कर दिया है। उत्तरदाता सं। 9 और 10

जमीन को मलबे से भरकर समतल करना शुरू कर दिया, जिससे नालियों को नुकसान हुआ। तूफान जल नालियों, प्राकृतिक घाटियों और आसपास के बफर क्षेत्र में कोई गड़बड़ी नहीं होने के संबंध में स्थितियां

राजकलुओं का उल्लंघन किया गया है। इसने बदले में, भूजल स्तर और बोरवेल को प्रभावित किया है जो हजारों घरों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत हैं। बेलंदूर झील पर निर्भर मछली पकड़ना और कृषि भी गंभीर रूप से प्रभावित हैं। दोनों झीलों के बीच आर्द्रभूमि पर निर्माण आर्द्रभूमि (प्रबंधन संरक्षण) का उल्लंघन है।

नियम, 2010 (संक्षेप में '2010 के नियम')। 8. यह प्रस्तुत किया गया था कि एस. ई. आई. ए. ए. ने अपनी दिनांकित 29.09.2012 की बैठक में गैर-मंत्री तकनीक पी. वी. टी. के कारण प्रतिवादी संख्या 10 से संबंधित फाइल को बंद करने का निर्णय लिया।

लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

नवंबर, 2012 में आवश्यक जानकारी जमा करने और उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। अस्वीकृति के बावजूद, प्रतिवादी No.10 ने परियोजना पर निर्माण कार्य पूरे जोरों पर शुरू कर दिया।

9. आवेदकों ने जुलाई 2005 के महीने में श्री ए. टी. रामास्वामी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त विधायी समिति के निष्कर्षों पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि 1961 में बैंगलोर शहर में 262 जल निकाय थे जो अतिक्रमण और अतिक्रमण के कारण काफी कम हो गए थे। यह भी पुष्टि की गई कि लगभग 840 किलोमीटर। राजकालुवों का कई स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है और वे सीवेज चैनल बन गए हैं। आवेदकों ने माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. पाटिल की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जिसमें झील क्षेत्र और राजकालुवे और नदी पर अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया गया था।

बैंगलोर शहर और उसके आसपास की झीलों का संरक्षण। यह भी तर्क दिया गया कि लक्ष्मण राव विशेषज्ञ समिति सहित अन्य विशेषज्ञ समितियों ने भी बैंगलोर महानगर क्षेत्र में मौजूदा तालाबों के संरक्षण, बहाली या अन्यथा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जिसमें बेलंदूर टैंक में पानी की अच्छी सतह बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई थी कि टैंक में पानी प्रदूषित न हो। केंद्र सरकार ने अगस्त 2013 में शहरी क्षेत्रों में जल निकायों के संरक्षण और बहाली पर एक परामर्श जारी किया था। आवेदक दावा करते हैं कि उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 5, मंत्रालय द्वारा परियोजना की निगरानी रिपोर्ट प्राप्त की है।

पर्यावरण और वन, 21.08.2013 पर आर. टी. आई. के माध्यम से। 14.08.2013 की रिपोर्ट से पता चला कि परियोजना के प्रस्तावक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती उपायों को पूरा करने के अपने वचन का स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हैं कि बेलंदूर झील परियोजना के निर्माण और परिचालन चरण से प्रभावित न हो। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से परियोजना स्थल के प्राकृतिक ढलान पैटर्न और क्षेत्र के प्राकृतिक जल विज्ञान में प्रमुख परिवर्तन के संबंध में है।

10. झील विकास प्राधिकरण (संक्षेप में 'एलडीए') ने बेलंदूर झील के जलग्रहण क्षेत्र में निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 12.06.2013 की रिपोर्ट जो पुष्टि करती है कि परियोजना का विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें बेलंदूर झील पर हानिकारक प्रभाव भी शामिल है। यह रिपोर्ट के. आई. ए. डी. बी. के संज्ञान में लाई गई थी। एलडीए ने भी

राय दी कि भूमि को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत और बनाए रखा जाना चाहिए। के. आई. ए. डी. बी. ने प्रत्यर्थी संख्या 9 से पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के नियमों का पालन करने और आवश्यक प्राप्त करने का आह्वान किया

के. एस. पी. सी. बी. और एल. डी. ए. से अनुमोदन। इन सबके बावजूद, प्रतिवादी सं।

और 10 ने अपने अवैध निर्माण जारी रखे हैं और इस संवेदनशील क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को अपूरणीय रूप से खतरे में डालकर पारिस्थितिकी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। आवेदक बी. डी. ए. द्वारा जारी संशोधित मास्टर प्लान, 2013 पर भरोसा करते हैं जो विशेष रूप से प्रदान करता है

गलत निरूपण। यह तर्क दिया गया कि परियोजनाएं पानी की कमी पैदा करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि अकेले प्रतिवादी संख्या 9 की परियोजना की आवश्यकता लगभग 45 लाख लीटर प्रति दिन है, यानी 13.5 करोड़ लीटर प्रति माह, जो कि बी. डब्ल्यू. एस. एस. बी. द्वारा पूरे अगराम वार्ड को की जाने वाली आपूर्ति से अधिक है। प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित परियोजनाओं का निर्माण Nos.9 और 10 क्रमशः, अधिकारियों से अनुमति के बिना शुरू करने और इसके लिए लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करने के अलावा

अनुमति/सहमति का अनुदान, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए बाध्य है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र की स्थलाकृति में परिवर्तन होता है, जिससे संभावित खतरा पैदा होता है

और आर्द्रभूमि का सफाया करना, राजकालुव्स का विलुप्त होना और बैंगलोर शहर में, विशेष रूप से जल निकायों के पास स्थित क्षेत्रों में बाढ़ और पानी की भारी कमी का गंभीर और संभावित खतरा पैदा करना। 11. प्रत्यर्थी संख्या 9 ने अपनी आपत्तियों में तर्क दिया कि इसे आवासीय परिसरों जैसी सुविधाओं के साथ एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना के उद्देश्य से शामिल किया गया था।

एक परिसर के भीतर पार्क, शिक्षा केंद्र और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे। इसने राज्य सरकार को इस तरह के सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और अन्य सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और परियोजना के लिए भूमि के आवंटन का अनुरोध किया था। इसके प्रस्ताव पर 21.06.2000 पर आयोजित 78 वीं उच्च स्तरीय समिति की बैठक में और उसके बाद विचार किया गया था।

प्रस्ताव की जांच करते हुए, इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था

06.07.2000 . राज्य उच्च स्तरीय समिति के समक्ष, इसने सूचित किया था कि इसकी आवश्यकता 110 एकड़ भूमि, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 25 मेगावाट बिजली की थी (संक्षेप में)। '), और बी. डब्ल्यू. एस. एस. बी. से प्रतिदिन चार लाख लीटर पानी। परियोजना के लिए भूमि को शुरू में अधिसूचना दिनांक 10.02.2004 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, भूमि का आवंटन मंत्री टेक्नोलॉजी पी. वी. टी. के पत्र के माध्यम से किया गया।

लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

28.06.2007 जिसके लिए 30.06.2007 पर पट्टा-सह-बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बैंगलोर राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए, इस प्रतिवादी ने एक मिश्रित उपयोग विकास परियोजना का प्रस्ताव रखा जिसमें एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, आवासीय अपार्टमेंट,

13, 50, 454.98 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ खुदरा, होटल और कार्यालय भवन। इस परियोजना की कल्पना शून्य अपशिष्ट निर्वहन परियोजना के रूप में की गई थी। यह परियोजना डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित है। बेलंदूर झील के दक्षिणी भाग से दूर। उत्तर की ओर, परियोजना से सटे, रक्षा से संबंधित भूमि का विशाल हिस्सा है और पूर्व की ओर, प्रतिवादी संख्या 10 की परियोजना है और एक अन्य विकासकर्ता भी है

पश्चिम की ओर एक परियोजना विकसित करना। इसने 04.07.2007 पर मंजूरी योजना प्राप्त की है जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया गया था। 12. प्रत्यर्थी संख्या 9 का दावा है कि उसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 09.04.2010 पर एन. ओ. सी. प्राप्त की है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने

दिनांक 16.04.2010 का संचार, परियोजना निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की। बी. डब्ल्यू. एस. एस. बी. ने अपने दिनांक 26.04.2011 के संचार के माध्यम से प्रस्तावित निर्माण के हिस्से के निर्माण के लिए एन. ओ. सी. जारी किया। बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने भी अपने पक्ष में प्रस्तावित आवासीय और वाणिज्यिक भवन को बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए एन. ओ. सी. प्रदान की। एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा दिनांक 17.04.2012 के संचार के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। पुलिस महानिदेशक ने एन. ओ. सी. जारी किया है और के. एस. पी. सी. बी. ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उक्त परियोजना के निर्माण के लिए उसमें बताई गई शर्तों के अधीन अपनी सहमति दी है। यह आगे कहा गया कि 17.09.2012 पर पर्यावरण मंजूरी देने के बाद, इसे प्रमुख समाचार पत्रों "कन्नड़ प्रभा" और "द इंडियन एक्सप्रेस" में क्रमशः 12.03.2012 और 14.03.2014 पर प्रकाशित किया गया था।

13. इसने एक संशोधित भवन योजना प्रस्तुत की जिसे मंजूरी दी गई।

के. आई. ए. डी. बी. द्वारा अपने दिनांकित 30.08.2012 पत्र के माध्यम से, जो 10.08.2014 तक वैध था। इसने सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों के नियमों और शर्तों के अनुसार सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2012 में परियोजना का निर्माण शुरू किया। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि इसने उठाया है

पर्यावरण मंजूरी और सहमति आदेशों की योजनाओं और शर्तों के अनुसार निर्माण और इसने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। इसने इस तर्क से इनकार किया है कि इसकी निर्माण गतिविधि ने राजकालुवे को अवरुद्ध कर दिया है और झील पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसने पहले ही पुरुषों और सामग्रियों, मशीनरी, [2019] 4 एस. सी. आर. की खरीद की दिशा में परियोजना पर कुल 1 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं।

अवसंरचना, चिकित्सा और स्वच्छता सुविधाएं, आदि और यह कि इसने परियोजना के निर्माण और निष्पादन के लिए विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त की है और तीसरे पक्ष के साथ विभिन्न अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि याचिका समय द्वारा वर्जित है और दोषों और बाधाओं से ग्रस्त है। 14. प्रत्यर्थी No.10 ने दलील दी कि आवेदकों ने इसके खिलाफ कई तरह की कार्यवाही की जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और दुर्भावनापूर्ण है। इसने अपनी विचाराधीन परियोजना के संबंध में एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और रुपये के निवेश के साथ 31.08.2007 पर नई मंजूरी प्राप्त करने के लिए। 179.22 करोड़। राज्य उच्च स्तरीय समिति ने परियोजना को मंजूरी दे दी थी जिसे 25.01.2008 पर सूचित किया गया था। इसकी संपत्तियाँ बेलंदूर झील और अगारा झील के बीच स्थित हैं, लेकिन इसकी संपत्तियों में कोई प्राथमिक तूफानी जल निकासी और द्वितीयक तूफानी जल निकासी नहीं हैं। इसमें पर्यावरण मंजूरी और स्थापना के लिए सहमति सहित विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरी है।

पर्यावरण नियम और एलडीए और केएसपीसीबी से अनुमोदन प्राप्त करना। एल. डी. ए. ने अपने दिनांकित 24.09.2013 के पत्र के माध्यम से के. आई. ए. डी. बी. को सूचित किया था कि बेलंदूर झील में जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण गतिविधि हानिकारक प्रभावों के साथ झील को काफी प्रभावित कर सकती है और उसे प्रतिवादी संख्या की निर्माण गतिविधि को रोकने के लिए कहा था। 9 और 10. हालांकि, इमारत के चित्रों की वैधता को फिर से 10.08.2014 तक बढ़ा दिया गया था। आई. डी. 2 पर लोकायुक्ता ने साउथ ईस्ट फोरम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा दायर शिकायत के संबंध में एक पत्र लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि बोर्ड द्वारा आई. डी. 1 पर दी गई मंजूरी और यहां तक कि योजनाओं के पुनः सत्यापन को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। यह उत्तरदाता संख्या 9 को भी सूचित किया गया था। बोर्ड ने एक निर्णय लिया जिसे प्रतिवादी संख्या 9 को 02.01.2014 पर सूचित किया गया था, जिसमें उसने प्रतिवादी संख्या 9 को आवंटित भूमि पर सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए कहा था। उक्त संचार को चुनौती दी गई थी प्रत्यर्थी संख्या 9 द्वारा और काम बंद करने की सूचना पर, मंत्री टेक्नोलॉजी पी. वी. टी. द्वारा रोक लगा दी गई थी।

लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

कर्नाटक का उच्च न्यायालय। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (संक्षेप में 'बीबीएमपी') द्वारा जारी दिनांक 23.12.2013 के काम बंद करने के नोटिस पर भी दिनांक 21.01.2014 के आदेश के अनुसार रोक लगा दी गई थी। प्रतिवादी सं. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव। 9 और 10 को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रत्यर्थी सं. को आवंटित भूमि। 9 और 10 में कोई राजकालुव शामिल नहीं है।

16. एलडीए ने यह रुख अपनाया कि उसे केआईएडीबी द्वारा शुरू की गई परियोजना के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। पूरी परियोजना के बारे में पता चला केवल तभी जब जून, 2013 के महीने के दौरान कुछ समाचार पत्रों की खबरें सामने आईं और तब तक वे अंधेरे में थीं। शिकायतों के बाद, इसने निरीक्षण किया

बेलंदूर झील और अगर झील 12.06.2013 पर और एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में यह देखा गया कि बड़े पैमाने पर निर्माण

बेलंदूर झील के जलग्रहण क्षेत्र में गतिविधियाँ चल रही थीं और भूमि उपयोग में बदलाव आया था, जिसने बदले में बेलंदूर झील के जलग्रहण को सीधे प्रभावित किया है। अगर झील का आर्द्रभूमि क्षेत्र भी सिकुड़ गया था, जो मूल रूप से आसपास की कृषि भूमि के लिए सिंचाई क्षेत्र था। इसलिए, इसने के. आई. ए. डी. बी. के दिनांकित पत्र 06.07.2013 के निर्णय पर सवाल उठाया था और यहां तक कि निर्माण गतिविधि को रोकने और भूमि को गैर-एस. ई. जेड. क्षेत्र के रूप में फिर से वर्गीकृत करने का अनुरोध किया था। इसके बाद 31.08.2013 पर प्रतिवादी संख्या 9 ने प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए अनुमोदन के लिए एक पत्र लिखा। हालाँकि, अपने दिनांकित 23.09.2013 पत्र के माध्यम से, एलडीए ने केआईएडीबी को सूचित किया कि उसके पास निर्माण परियोजनाओं को देने या अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसने केआईएडीबी को अपनी आपत्तियों के बारे में भी बताया कि निर्माण गतिविधि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होगी। इन चेतावनियों के बावजूद, के. आई. ए. डी. बी. ने कुछ शर्तों के साथ परियोजना प्रस्तावकों के पक्ष में परियोजना के भवन चित्रों के विस्तार को मंजूरी दे दी, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि उक्त भूमि में सभी प्राकृतिक घाटियों, घाटी क्षेत्र, सिंचाई तालाबों और गांवों की ओर जाने वाली मौजूदा सड़कों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, परियोजना स्थल के प्राकृतिक ढलान वाले पैटर्न और परियोजना के भीतर और/या आसपास के झीलों और अन्य जल निकायों में बदलाव नहीं किया जाना था। क्षेत्र को संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। आपत्तियों के बावजूद, योजनाओं को मंजूरी दी गई और समय-समय पर मंजूरी दी गई। यह.

उन्होंने स्पष्ट रुख अपनाया है कि के. आई. ए. डी. बी. द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का बेलंदूर और अगर झीलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

17. पक्षकारों की दलीलों के आधार पर न्यायाधिकरण ने विचार और निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. चाहे आवेदनकर्ताओं द्वारा दायर किया गया हो और प्रत्यर्थी सं। 11 और 12, समय द्वारा वर्जित है और इस प्रकार, रखरखाव योग्य नहीं है?

2. क्या याचिका तैयार की गई है और उसमें राहत का दावा किया गया है,

कार्रवाई के एक कारण का खुलासा करें जिस पर इस न्यायाधिकरण ने

के अधीन आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र

एनजीटी अधिनियम, 2010 के प्रावधान?

3. क्या वर्तमान आवेदन रेस के सिद्धांत द्वारा वर्जित है

न्यायपालिका और/या रचनात्मक न्यायपालिका?

4. 2013 की रिट याचिकाओं 36567-74 के लंबित होने को देखते हुए क्या आवेदकों द्वारा दायर आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए या यह न्यायाधिकरण के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं है।

कर्नाटक का माननीय उच्च न्यायालय? और

5. आवेदक किस राहत के हकदार हैं? पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे के हित में न्यायाधिकरण को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए

कोई निर्देश और यदि हां, तो किस प्रभाव के लिए?

18. न्यायाधिकरण ने अनुलग्नक ए-2 में अपने दिनांक 07.05.2015 के आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ आवेदनों का उल्लेख कियाः

1) हम इस स्तर पर परियोजना या उसके किसी भी हिस्से की आगे की प्रगति और/या विध्वंस को रोकने के लिए कोई निर्देश या आदेश पारित करने से इनकार करते हैं। तथापि, हम विचाराधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करने और अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन करते हैं।

लेकिन विशेष रूप से इसके बाद बताए गए मुद्दों परः

क) पर्यावरण और वन मंत्रालय में सलाहकार

आर्द्रभूमि का विषय।

ख) सी. ई. ओ. झील विकास प्राधिकरण, कर्नाटक राज्य।

ग) बीबीएमपी, बैंगलोर के मुख्य नगर योजनाकार।

घ) एस. ई. ए. सी. के अध्यक्ष जिन्होंने अनुदान की सिफारिश की विचाराधीन परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी।

ई) भारतीय विज्ञान संस्थान से वरिष्ठ वैज्ञानिक (पारिस्थितिकी), बैंगलोर।

च) डॉ. सिद्धार्थ कौल, पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व सलाहकार।

मंत्री तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

छ) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी,

रुड़की।

2) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे और न्यायाधिकरण को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 3) समिति न केवल उन स्थलों का निरीक्षण करेगी जहां विचाराधीन परियोजनाएं स्थित हैं, बल्कि बैंगलोर के अन्य क्षेत्रों का भी निरीक्षण करेगी।

झीलों की परस्पर संपर्कता और झीलों के विशेष संदर्भ में जल निकायों पर ऐसी गतिविधियों के प्रभाव की जांच करने के लिए समिति अपने विवेक से उचित विचार कर सकती है।

4) समिति प्रस्तुत करेगी कि क्या विचाराधीन परियोजनाएं हैं

आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण किया है या बनाया गया है और

राजकलुवेस। यदि ऐसा है, तो क्या इन परियोजनाओं का झील, विशेष रूप से बेलंदूर झील और अगारा झील के साथ-साथ राजकालुवे पर कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि क्या किसी राजकालुवे को निर्माण गतिविधियों द्वारा कवर किया गया है।

उत्तरदाता सं। 9 और 10 या विचाराधीन क्षेत्र की किसी भी परियोजना द्वारा।

5) यदि इन परियोजनाओं का आसपास के पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

6) समिति प्रतिवादी संख्या के प्रत्येक मामले में पर्यावरण मंजूरी आदेश की किसी भी शर्त पर पर्याप्त रूप से ध्यान देगी। 9 और 10 का उल्लंघन किया गया है। यदि हां, तो किस हद तक और उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए उस ओर से उपचारात्मक उपायों का सुझाव दें।

7) समिति यह भी सिफारिश करेगी कि झीलों और आपस में जुड़े मार्गों और आर्द्रभूमि के आसपास बफर ज़ोन क्या होना चाहिए। समिति यह भी रिपोर्ट करेगी कि क्या बहुउद्देशीय गतिविधियाँ हैं। यातायात, वायु प्रदूषण, पर्यावरण और संबंधित विषयों पर गंभीर प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं को आगे अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, विशेष रूप से, जल निकायों के आर्द्रभूमि और जलग्रहण क्षेत्रों में।

8) कदमों के संबंध में सिफारिशें की जानी चाहिए।

और झीलों के जीर्णोद्धार के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, विशेष रूप से बैंगलोर शहर में।

9) समिति यह भी पता लगाएगी कि क्या परियोजनाओं का निर्माण स्वीकृत ड्राइंग और बाय के अनुसार है।

4 जुलाई, 2007 और 22 अप्रैल के पत्रों के अनुसार कानून, 2008 क्रमशः। इसके अलावा, समिति यह भी रिपोर्ट करेगी कि क्या दोनों प्रतिवादी संख्या। 9 और 10 ने ई. टी. पी./एस. टी. पी. स्थापित किया है और लिया है

10) यदि समिति की राय है कि देखे गए प्रतिकूल प्रभावों को भुनाया जा सकता है, तो कौन से निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है उस ओर से और झीलों और जल निकायों के उक्त संरक्षण और बहाली को प्राप्त करने के लिए शामिल लागत।

11) समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने और उस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्देशों तक, दोनों प्रतिवादी संख्या। 9 और 10 हैं

इसके द्वारा किसी भी तीसरे पक्ष के हितों या हिस्से को बनाने से रोक दिया गया है

विचाराधीन संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा, के पक्ष में

कोई भी व्यक्ति।

12) समिति अपनी रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय और इस न्यायाधिकरण को जितनी जल्दी हो सके और किसी भी मामले में आज से तीन महीने के बाद प्रस्तुत करेगी। उस अवधि के दौरान हम एमओईएफ, एसईआईएए और/या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी भी निर्माण परियोजना को मंजूरी देने से रोकते हैं। बैंगलोर शहर में जल निकायों के आर्द्रभूमि और जलग्रहण क्षेत्र।

13) समिति रिपोर्ट करेगी कि क्या परियोजना के प्रस्तावक अपने व्यापार या घरेलू अपशिष्ट को झील में छोड़ने का प्रस्ताव कर रहे हैं या

विचाराधीन क्षेत्र में और उसके आसपास के किसी भी जल निकाय।

14) निर्णय में बताए गए कारणों के लिए, प्रतिवादी संख्या 9 उत्तरदायी है और रुपये की राशि का भुगतान करेगा। 117.35 करोड़, जबकि प्रतिवादी संख्या 10 रुपये की राशि का भुगतान करेगा। 22.5 आज से दो सप्ताह के भीतर यह परियोजना मूल्य का क्रमशः 5 प्रतिशत होगा। उक्त राशि का भुगतान के. एस. पी. सी. बी. को किया जाएगा, जो इसके लिए एक अलग खाता बनाए रखेगा और इस राशि को पर्यावरण और पारिस्थितिक बहाली, बहाली और अन्य उपायों के लिए खर्च करेगा जो न्यायाधिकरण की मंजूरी लेने के बाद उस क्षेत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूक और कानून का पालन न करने के परिणामस्वरूप हुए नुकसान को सुधारने के लिए किए जाएंगे।

15) हम यह स्पष्ट करते हैं कि उक्त उत्तरदाता खरीदारों के लिए निर्देश 14 के संदर्भ में राशि पर एस. एस. के हकदार नहीं होंगे।अपने स्वयं के जानबूझकर चूक के परिणामस्वरूप इस दायित्व का उपयोग करें,

लागू कानून और परियोजना गतिविधियों को जारी रखना और

अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से टूटना।

19. उक्त आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी सं। 9 और 10 सिविल अपील संख्या। 4829 और इस न्यायालय के समक्ष 2015 का 4823। इसने 20 मई, 2015 के अपने आदेश द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" इन अपीलों में अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई मुख्य दलीलों में से एक यह है कि हालांकि न्यायाधिकरण ने मामले की सुनवाई की थी

केवल प्रारंभिक मुद्दों पर और योग्यता पर कोई तर्क नहीं थे

अग्रिम, अंतिम निर्णय विवादों के गुण-दोष का भी निर्णय करता है और सबसे बढ़कर एक लाख रुपये का जुर्माना लगता है। मूल प्रत्यर्थी संख्या 9 (2015 की सी. ए. संख्या 4832 में अपीलार्थी) के विरुद्ध 117.35 करोड़ रुपये। 22.5 मूल प्रत्यर्थी सं. 10 (सी. ए. सं. 4829/2015 में अपीलार्थी) के विरुद्ध करोड़ रुपये लगाए जाते हैं।

उपरोक्त कथन पर, हम महसूस करते हैं कि यह अधिक होगा

याचिकाकर्ताओं को दी गई उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ, अपीलों का निपटारा किया जाता है। कुछ प्रारंभिक मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है। अपीलार्थियों के विरुद्ध जो विषय वस्तु भी हैं

चुनौती। हालाँकि, इस चरण से निपटना आवश्यक नहीं है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि उक्त आवेदन का निर्णय अपीलार्थियों के खिलाफ किया जाता है या यदि अंततः गुण-दोष के आधार पर किया जाता है, तो अपीलार्थियों के लिए यह खुला रहेगा कि वे अपील दायर करके उन आदेशों को चुनौती दे सकते हैं और उस अपील में उन सभी मुद्दों को चुनौती दे सकते हैं जो विवादित मामले में तय किए गए हैं।

निर्णय भी लिया जा सकता है।

अपीलार्थियों के वकील का कहना है कि वे एक सप्ताह के भीतर आवश्यक आवेदन दायर करेंगे। जब तक उक्त आवेदन है

न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है, निर्देश पर रोक होगी

उपरोक्त जुर्माने के भुगतान से संबंधित। श्री राज पंजवानी इंगित करते हैं कि न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों को केवल उपरोक्त जुर्माने/जुर्माने के भुगतान पर निर्माण के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी है। हम इसे न्यायाधिकरण पर छोड़ते हैं कि वह जो भी आदेश दे उसे पारित करे

पक्षों को सुनने के बाद, इस संबंध में उचित समझते हैं। "[2019] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. मुद्दा संख्या 5 के संबंध में, उत्तरदाताओं को सुनवाई का अवसर दिया गया था। न्यायाधिकरण ने इन पर दिनांक 06.04.2016 का आदेश पारित किया।

कैशन निम्नानुसार हैंः

" 2015 की एम. ए. संख्या 603 और 2015 की एम. ए. संख्या 596 ये आवेदन क्रमशः प्रतिवादी 9 और 10 की ओर से दायर किए गए हैं। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम इस मामले में जारी किए जाने वाले निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किसी भी विवरण का उल्लेख करें।

पक्षकारों के अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और न्यायसंगत अपवाद के अधीन हम मुख्य रूप से पर्यावरण क्षतिपूर्ति और उसके संबंध में संलग्न गुणों को लागू करने के प्रश्न पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में पक्षकारों को सुनेंगे। दलों को स्वतंत्रता दी जाती है

उपरोक्त निर्देशों के साथ 2015 की एम. ए. संख्या 603 और 2015 की एम. ए. संख्या 596 का बिना किसी आदेश के निपटान किया जाता है। 21. उपरोक्त आदेशों से यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण ने मंजूरी दी थी

इसे "सीमित प्रश्न" के रूप में संबोधित करने के लिए पक्षों के लिए अधिकार

उल्लेख किया है। न्यायाधिकरण ने पक्षों को सुनने के बाद एक आदेश पारित किया

04.05.2016 निम्नानुसारः

1. मुख्य निर्णय में हमारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि जल निकायों (झीलों और राजकलेवों) से दूरी का निर्धारण अंतर्निहित विरोधाभास से ग्रस्त है। दुर्बलता और बिना किसी वैज्ञानिक औचित्य के है। आरएमपी

2015 यह प्राथमिक राजकलेवा के मामले में राजकलेवा के बीच से 50 मीटर, माध्यमिक राजकुलेवा के मामले में 25 मीटर और तृतीयक राजकुलेवा में 15 मीटर की दूरी तय करता है, जो झील के मामले में 30 मीटर के विपरीत है जो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है।

जल निकाय और जल निकाय/आर्द्रभूमि के रूप में इसकी उपयोगिता निश्चित रूप से गीली भूमि का हिस्सा है। इस प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि दूरी में उत्तरदाताओं का मामला सं। 9 और राजकुलेवा से 10, जल निकायों और आर्द्रभूमि का रखरखाव निम्नानुसार किया जाएगाः

(i) झीलों के मामले में, जल निकाय की परिधि से 75 मीटर दूर सभी झीलों के लिए ग्रीन बेल्ट और बफर ज़ोन के रूप में बनाए रखा जाएगा।

मौजूदा जल निकाय अर्थात झीलें/आर्द्रभूमि।

एनटीआरआई प्रौद्योगिकी पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

((ii) प्राथमिक राजकुलेवास के किनारे से 50 मीटर की दूरी पर। (iii) द्वितीयक राजकुलेवास के मामले में किनारों से 35 मीटर

(iv) तृतीयक राजकुलेवास के मामले में किनारों से 25 मीटर

इस बफर/ग्रीन ज़ोन को सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए कोई निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यह सतत विकास के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से विचाराधीन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आवश्यक है।

उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए सभी अपमानजनक निर्माण संख्या। 9 और सीमा दीवार सहित किसी भी प्रकार के 10 को ध्वस्त कर दिया जाएगा जो ऐसे क्षेत्रों के भीतर आता है। जहाँ भी ड्रेजिंग की आवश्यकता हो

संचालन की आवश्यकता होती है, जल प्रसार क्षेत्र और/या आर्द्रभूमि की मूल क्षमता को बहाल करने के लिए भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। न केवल मौजूदा निर्माण को हटाया जाएगा, बल्कि इनमें से किसी भी उत्तरदाता-परियोजना प्रस्तावक को इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी प्राधिकरण विशेष रूप से झील विकास प्राधिकरण सभी जल निकायों/झीलों के संबंध में इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। बैंगलोर।

2. मौजूदा एस. टी. पी. की मलजल शोधन क्षमता 729 एम. एल. डी. है, जबकि अन्य 500 एम. एल. डी. मलजल शोधन क्षमता 10 आगामी एस. टी. पी. में प्रस्तावित है। इस संदर्भ में, क्षेत्र में काम करने वाले सभी एसटीपी, चाहे वे सरकारी हों या निजी स्वामित्व वाले, को सीपीसीबी/एमओईएफ द्वारा अधिसूचित संशोधित मानकों को पूरा करना चाहिए।

3. बैंगलोर शहर को कावेरी नदी से 1360 एमएलडी का शोधित पेयजल प्राप्त होता है, जबकि अन्य 750 एमएलडी की आवश्यकता होती है और पूरा क्षेत्र भूजल दोहन के मामले में महत्वपूर्ण क्षेत्र में आता है। जानकारी से पता चलता है कि निर्माण उद्देश्यों के लिए बिल्डरों द्वारा प्रति माह केवल दस लाख लीटर एसटीपी उपचारित पानी का उपयोग किया जाता है। इस कारण से, बी. डब्ल्यू. एस. एस. बी. पीने योग्य पानी की आपूर्ति के संबंध में विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं को आंशिक एन. ओ. सी. जारी करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता हैः

आई. ईसी के अनुदान के समय, निर्माण चरण और संचालन चरण के लिए पानी की आवश्यकता पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। [2019] 4 एस. सी. आर. के लिए भी उचित विचार किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जल आपूर्ति के स्रोत की पहचान और यह ईसी के अनुदान के लिए एक पूर्व-आवश्यकता होनी चाहिए।

ii. सभी परियोजना प्रस्तावकों को अनिवार्य रूप से निर्माण उद्देश्य के लिए केवल उपचारित सीवेज का उपयोग करना चाहिए और यह होना चाहिए

निर्माण चरण के लिए एक शर्त के रूप में ईसी में प्रतिबिंबित।

iii. जहाँ भी उपचारित मलजल की गुणवत्ता निर्माण के लिए आवश्यक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है, वहाँ आवश्यक है।

एस. टी. पी. का उन्नयन तुरंत किया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी के लिए विशिष्ट शर्तें/निर्देश 9;

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त जो उत्तरदाता संख्या के संबंध में सी शर्त का समान रूप से हिस्सा होना चाहिए। 9 & 10 , इसके बाद

पारिस्थितिक शर्तें प्रत्यर्थी नं. 9 :

आई. सर्वेक्षण संख्या 43 में झील के 3 एकड़ 10 गुंटा के क्षेत्र को परियोजना प्रस्तावक की कीमत पर अपनी मूल स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र का कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 9 द्वारा तुरंत संबंधित अधिकारियों को बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, झील और परियोजना क्षेत्र के बीच 75 मीटर का एक बफर ज़ोन प्रदान किया जाना चाहिए और यह

हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखा जाए। ii. शेष क्षेत्र में, जहाँ प्राथमिक राजकलेवा स्थित है

परियोजना क्षेत्र, राजकलेवा के किनारे से परियोजना क्षेत्र के किनारे पर 50 मीटर बफर ज़ोन को बनाए रखा जाना चाहिए

ग्रीन बेल्ट।

iii. कई सिंचाई नहरें या तृतीयक राजकाल शुरू हो रहे थे

अगर तालाब से क्षेत्र से गुजर रहे थे

अगर झील और बेलंदूर झील के बीच गिरता है, उत्तरदाता संख्या 9 को उचित जलवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर आवश्यक संख्या में तूफानी जल निकासी प्रदान करनी चाहिए। इन तूफानी नालियों के दोनों किनारों पर 15 मीटर का बफर जोन होना चाहिए जिसे ग्रीन बेल्ट के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए।

री तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

iv. के लिए खुदाई की गई पृथ्वी की संचयी मात्रा

परियोजना का निर्माण 0 से 9 मीटर की गहराई सीमा में लगभग 4 लाख घन मीटर है। इसने सतह के बहाव के प्राकृतिक प्रवाह पैटर्न को बाधित करने वाली विशाल पहाड़ी जैसी संरचना का निर्माण किया है।

अगर झील की ओर से बालेन्दूर झील की ओर या प्राथमिक

राजकलेवास को बहने वाले पानी के सुरक्षित निपटान के लिए। खुदाई की गई सामग्री के निपटान के लिए, एक उचित कचरा निपटान योजना एस. आई. ई. ए. ए. द्वारा अनुमोदित तैयार किया जाएगा। किसी भी मामले में योजना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी कीचड़/तलछट राजकलेवास और/या बेलंदूर झील में न जाए।

वी. राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित खरब भूमि। मापना

1 एकड़ 2 गुंटा का सीमांकन और रखरखाव किया जाना चाहिए।

अलग से ग्रीन बेल्ट के रूप में।

vi. इस न्यायाधिकरण के निर्देशों के तहत बनाई गई पूरी हरित पट्टी को ईसी शर्त के हिस्से के रूप में परियोजना के हरित पट्टी का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए और जैसा कि ईसी में संकेत दिया गया है, यह हरित पट्टी के ऊपर और ऊपर होगी।

vii. आस-पास की सरजापुर सड़क पर भारी यातायात भार को देखते हुए, यातायात घनत्व, पैर गिरने की उम्मीद आदि के आधार पर एक उचित अध्ययन, एक उचित योजना तैयार करने की आवश्यकता है और

विशेष रूप से परियोजना के लिए सर्विस रोड की अवधारणा पर काम करने और परियोजना क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त पार्किंग स्थान बनाने और समग्र परियोजना के एक हिस्से के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है।

लेआउट, 3 महीने की अवधि के भीतर।

) . हालाँकि, निर्णय पारित करने से पहले सुनवाई के समय, हमने सभी पहलुओं पर पक्षों को सुना था, लेकिन फिर भी हमने मात्रा सहित पर्यावरणीय मुआवजे को लागू करने पर जोर देने के साथ सभी मुद्दों पर पक्षों को सुनवाई प्रदान की है। सुनने पर, हमारा विचार है कि पर्यावरण

प्रत्यर्थी संख्या 9 पर लगाया गया मुआवजा नहीं के लिए कॉल करता है

प्राधिकरण और प्रत्यर्थी संख्या 9 को भुगतान करने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

ई ने कहा कि रुपये की राशि। 117.35 टीई में किसी भी परियोजना गतिविधि के शुरू होने से पहले डी. जी. एम. टी. के तहत निर्धारित करोड़ रुपये। प्रत्यर्थी संख्या 10 ने कोई वास्तविक शुरुआत नहीं की है।

निर्माण गतिविधि लेकिन विभिन्न प्रारंभिक कदम [2019] 4 एस. सी. आर.

जिसमें विचाराधीन परिसर में एक पहाड़ी और एक स्थल कार्यालय बनाकर विशाल मिट्टी की खुदाई और निक्षेपण शामिल है।

इस प्रकार, पर्यावरण पर संचयी प्रभाव पर विचार करना और

प्रत्यर्थी संख्या 10 द्वारा उस ओर से विभिन्न उल्लंघनों के कारण पारिस्थितिकी और यह तथ्य कि उपचारात्मक उपाय अधिक हो सकते हैं

उत्तरदाता No.10 द्वारा प्रभावी रूप से लिए जाने पर, हम उत्तरदाता संख्या 10 द्वारा देय पर्यावरणीय मुआवजे को घटाकर रु। 13.5 करोड़ (मूल निर्णय में लगाए गए 5 प्रतिशत के बजाय उल्लिखित परियोजना लागत का 3 प्रतिशत)।

सामान्य निर्देशः

और परियोजना की निगरानी और निर्माण के दौरान और पूरा होने पर भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि गतिविधि पर्यावरण मंजूरी देने वाले आदेश, इस निर्णय, 2006 की अधिसूचना और अन्य कानूनों की शर्तों के अनुसार सख्ती से की जाती है। बल देते हैं।

3. इस निर्णय में निर्दिष्ट बफर ज़ोन के संबंध में दूरी सभी परियोजनाओं पर लागू की जाएगी और सभी संबंधित प्राधिकरणों को ऐसी शर्तों को शामिल करने का निर्देश दिया जाता है।

जिन परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी और अन्य अनुमतियां दी गई हैं, वे अब न केवल बेलंदूर झील, राजकुलेवास, अगारा झील के आसपास हैं, बल्कि बेंगलुरु शहर की अन्य सभी झीलों/आर्द्रभूमि के आसपास भी हैं।

4. हम कर्नाटक राज्य को समय-समय पर संशोधित आर्द्रभूमि नियम 2010 के संदर्भ में आर्द्रभूमि का सीमांकन करने के लिए एम. ओ. ई. एफ. को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। ऐसा प्रस्ताव राज्य द्वारा आज से चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और एम. ओ. ई. एफ.

कानून के अनुसार इस पर विचार करें और इसकी मंजूरी दें। या अन्यथा उसके बाद चार सप्ताह के भीतर। इस तरह की मंजूरी के बाद एन. टी. आर. आई. टेक्नोलॉजी पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

एम. ओ. ई. एफ. द्वारा प्रदत्त, राज्य नियमों और कानून के अनुसार तुरंत बाद ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना जारी करेगा। 5. दोनों उत्तरदाताओं संख्या। 9 और 10 यह सुनिश्चित करेगा कि मलबा या कोई भी निर्माण सामग्री जिसे उसमें फेंक दिया गया है।

राजकुलेवा, या उनके तटों पर और आर्द्रभूमि के बफर ज़ोन को आज से चार सप्ताह के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो इसे राज्य प्रशासन के साथ झील विकास प्राधिकरण द्वारा हटा दिया जाएगा और

उक्त प्रत्यर्थियों से उसके प्रभार वसूल करें। 6. माप के संबंध में भी एक गंभीर विसंगति है

जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 9 का संबंध है। मान लीजिए कि

प्रत्यर्थी को आवंटित कर दिया गया है और उसके पास भूमि है

63.94 एकड़ को मापना, हालांकि पर्यावरण मंजूरी है

2, 92, 636.03 वर्ग के लिए प्रदान किया गया। मीटर जो 72.22 एकड़ के बराबर है। केवल इसी कारण से पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जा सकती है। संशोधित जारी करते समय

पर्यावरण मंजूरी, एस. ई. आई. ए. ए. कर्नाटक इस पर विचार करेगा।

इन सभी पहलुओं पर विचार करें और यदि आवश्यक हो, तो प्रतिवादी संख्या 9 को एक नया लेआउट संयंत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी और पूरी परियोजना को कानून के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

7. दोनों उत्तरदाता (परियोजना प्रस्तावक) एक प्रस्तुत करेंगे

इस निर्णय में लगाई गई शर्तों और जारी की जाने वाली संशोधित पर्यावरण मंजूरी को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त योजना।

8. पर्यावरण मुआवजे की राशि जमा की जाएगी।

संशोधित पर्यावरण मंजूरी जारी करने से पहले।

उपरोक्त निर्देशों के साथ, 2014 का मूल आवेदन संख्या 222 और विविध। आवेदन संख्या। 596/2016 और 603/2016 हैं अंत में पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ते हुए निपटाया गया।

22. 2016 के सी. ए. No.5016 में अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री इल रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्नाटक परीक्षण क्षेत्र विकास अधिनियम (संक्षेप में 'के. आई. ए. डी. अधिनियम') के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है। इसके बाद वर्ष 2004 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि का अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण के बाद, 28.06.2007 पर, अपीलार्थी को भूमि आवंटित की गई थी

आई. ए. डी. बी एस. ई. आई. ए. ए. ने पर्यावरण मंजूरी दी जो [2019] 4 एस. सी. आर. थी।

इसके बाद 14.03.2012 पर मंजूरी से संबंधित सार्वजनिक सूचना। न तो भूमि के आवंटन और न ही पर्यावरण मंजूरी को चुनौती दी गई थी न्यायाधिकरण के समक्ष। इस प्रकार, कोई भी वैधानिक निर्णय या प्रक्रिया नहीं,

आवेदन के उद्देश्य के लिए कार्रवाई का कारण हैं। मूल आवेदन में किए गए कथन एनजीटी अधिनियम की धारा 14 (1) और (3) की आवश्यकताओं को पूरा या पूरा नहीं करते हैं और मूल आवेदन उक्त प्रावधान के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक कार्रवाई का कारण नहीं बताता है। चूंकि वैधानिक प्रक्रियाओं और मंजूरी को धारा 14 (3) द्वारा प्रभावित होने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती थी, इसलिए निर्माण गतिविधियों

के. आई. ए. डी. बी. द्वारा 30.08.2012 पर अनुमोदित किया गया था, आवेदन को एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में विवाद के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न होने की तारीख से छह महीने के भीतर दायर किए गए हैं। वर्तमान आवेदन मार्च, 2014 में दायर किया गया है जो सीमा की निर्धारित अवधि से बहुत अधिक था। आवेदन के साथ देरी को माफ करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है। इसलिए, न्यायाधिकरण को इस आधार पर आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था कि क्योंकि यह समय द्वारा वर्जित है।

24. यह भी तर्क दिया गया कि एनजीटी द्वारा निर्धारित बफर ज़ोन बफर ज़ोन की तुलना में काफी अधिक है जिसकी आवश्यकता है 22.06.2007 पर जारी संशोधित मास्टर प्लान, 2015 के अनुसार बनाए रखा गया। यह कर्नाटक नगर और देश योजना अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'योजना अधिनियम') के विपरीत है।

25. इस मामले में अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल और श्री आर. वेंकटरमानी ने भी इसी तरह की दलीलें दी हैं। यह तर्क दिया गया था कि जुर्माना लगाने का निर्देश /

क्षतिपूर्ति इस आधार पर अवैध है कि आवेदकों ने यह आरोप नहीं लगाया कि परियोजना के निर्माण कार्य ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। बेलंदूर झील जल निकाय या बेलंदूर को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

झील क्षेत्र, आरोप लगाया गया है और स्थापित किया गया है। इस प्रकार, जुर्माना लगाने या किसी मुआवजे से संबंधित किसी भी जांच का कोई सवाल ही नहीं है।

मंत्री तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

26. श्री मनिंदर सिंह, 2016 के सी. ए. Nos.5016 और 10995 में अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, का समर्थन करते हुए

श्री रोहतगी द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने सक्षम लोगों से परियोजना के लिए मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं। अधिकारीगण। यह सभी अनुमतियों के अनुदान के बावजूद निर्माण शुरू नहीं कर सका, जिसमें जल्द से जल्द पर्यावरण मंजूरी यानी 30.09.2013 शामिल है। इसलिए, जुर्माना/मुआवजा देना पूरी तरह से अस्थिर है।

27. विद्वान महाधिवक्ता, श्री उदय होल्ला, 2017 के C.A.Nos.4923-4924 में अपीलार्थी-कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए हैं। प्रस्तुत किया कि कर्नाटक राज्य भी संशोधित मास्टर प्लान, 2015 में निर्दिष्ट जल निकायों और नालियों के संबंध में बफर ज़ोन को अलग करने और झीलों और राजकालुवों के संबंध में बफर ज़ोन के विस्तार के लिए एनजीटी के आदेश से व्यथित है। यह एनजीटी के आदेश से भी व्यथित है जिसमें अधिकारियों को बफर ज़ोन में उठाए गए/बनाए गए सभी आपत्तिजनक निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बेंगलुरु में 95 प्रतिशत इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह है।

प्रस्तुत किया कि संशोधित मास्टर प्लान प्रकृति में वैधानिक है और एनजीटी के पास किसी भी वैधानिक प्रावधान/विनियमन की वैधता या अधिकारिता पर विचार करने की कोई शक्ति, क्षमता या अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, एनजीटी का आदेश उस हद तक अलग रखा जा सकता है।

28. अन्य मामलों में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का समर्थन किया है।

जनरल। यह तर्क दिया गया कि संशोधित मास्टर प्लान में झीलों के चारों ओर 30 मीटर का बफर ज़ोन और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक नालियों से क्रमशः 50 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर का बफर ज़ोन प्रदान किया गया है, जिसे नाली के केंद्र से मापा जाएगा। इसका वीडियो

मास्टर प्लान। 29. दूसरी ओर, आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री साजन पूवय्या ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि आवेदन [2019] 4 एस. सी. आर.

केवल अपीलार्थियों के खिलाफ सी. ए. सं. में दायर किए गए थे। 5016 2016 का और 2016 का 8002-8003 (प्रत्यर्थी संख्या। 9 & 10) . जहाँ तक अपीलार्थी अन्य अपीलों में आदेश को दरकिनार करते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कर्नाटक राज्य चिंतित है। उन्हें दिनांकित 04.05.2016 के आदेश के पैराग्राफ (1) में एनजीटी की सामान्य शर्तों और निर्देशों को दरकिनार करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि उनके खिलाफ जारी किए गए निर्देशों के।

उत्तरदाता सं। 9 और 10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सिविल अपील संख्या में विद्वान महाधिवक्ता की दलीलों की जांच करना आवश्यक नहीं है। 4923-4924 2017 से। उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपीलों को छोड़कर अन्य दीवानी अपीलों में आग्रह की गई दलीलों पर विचार करना भी आवश्यक नहीं है। 9 और 10.

30. श्री पूवय्या ने सी. ए. सं. 5016 में अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों का कड़ा विरोध किया है।

2016 और सी. ए. सं. 8002-8003 2016 से। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक विशेष निकाय है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना शामिल है। न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र एनजीटी अधिनियम की धारा 14,15 और 16 के तहत प्रदान किया गया है। धारा 14 उन सभी दीवानी मामलों पर अधिकारिता प्रदान करती है जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। तथापि, ऐसा प्रश्न अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होना चाहिए।

एनजीटी अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) के तहत अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत उत्पन्न प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान करने का अधिकार क्षेत्र है।

धारा 15 (1) (बी) और 15 (1) (सी) के तहत न्यायाधिकरण क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और पर्यावरण की बहाली का प्रावधान कर सकता है।

क्षेत्र या क्षेत्र, जैसा कि न्यायाधिकरण उचित समझे। धारा 15 (1) (बी) और 15 (1) (सी) को संविधान की अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियम से संबंधित नहीं बनाया गया है। अधिनियम। धारा 15 (1) (सी) अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित शक्ति और अधिकार क्षेत्र का एक पूरा द्वीप है। वे प्रस्तुत करते हैं कि जब भी पारिस्थितिकी से समझौता किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है, तो न्यायाधिकरण पर्यावरण के हित में पुनर्स्थापनात्मक उपाय करने के लिए धारा 20 लागू कर सकता है। द.

धारा 14 में दी गई सीमा उस तारीख से छह महीने की अवधि है जिस दिन कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न हुआ था, जबकि धारा 15 में यह पांच साल है। इसलिए, याचिका समय द्वारा वर्जित नहीं है।

मंत्री तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

31. उन्होंने आगे कहा है कि धारा 33 के प्रावधानों में कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभाव पड़ेगा।

अधिनियम, बैंगलोर का संशोधित मास्टर प्लान, 2015 और कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 (संक्षेप में 'केएमसी अधिनियम')। इसलिए, न्यायाधिकरण किसी क्षेत्र में पर्यावरण की बहाली का प्रावधान करते हुए क्षेत्र निर्धारण विनियमन के उल्लंघन में विशिष्ट झीलों और जल निकायों के आसपास बफर ज़ोन निर्दिष्ट कर सकता है। 32. सीमा के संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उत्तरदाता 1 से 3 द्वारा दायर आवेदन धारा 14 के तहत एक आवेदन सरलीकरणकर्ता नहीं था

अधिनियम से। यह एक ऐसा आवेदन था जिसमें झील विकास प्राधिकरण की दिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में एक विशिष्ट प्रार्थना की गई है।

12.06.2013 और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन निगरानी समिति मंत्रालय की रिपोर्ट दिनांक 14.08.2013 की बहाली के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूमि और अपनी प्राकृतिक स्थिति में संवेदनशील क्षेत्र को बनाए रखने के लिए ताकि क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बाधित न हो। इसलिए, याचिका अधिनियम की धारा 15 के तहत थी और इसे उस तारीख से पांच साल के भीतर दायर किया जा सकता है जिस दिन इस तरह के मुआवजे या राहत का कारण पहली बार सामने आया था।

33. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि धारा 22 के तहत अपील करने का अधिकार एक निहित अधिकार नहीं है जब तक कि क़ानून द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। अपीलक अभ्यास

वैधानिक अधिदेश की पूर्ति के बिना क्षेत्राधिकार क्षेत्राधिकार के बिना होगा। अधिनियम की धारा 22 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') की धारा 100 में निर्दिष्ट आधार पर अपील का प्रावधान करती है। सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत, अपील केवल इस आधार पर दायर की जा सकती है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो सकता है।

अपीलीय न्यायालय द्वारा तैयार किया जाए। तत्काल मामले में, अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है इसलिए इसे सीमित रूप से खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने हमें रिकॉर्ड पर रखी गई विभिन्न सामग्रियों के माध्यम से यह साबित करने के लिए लिया है कि निर्देश पारित किया गया है और दंड लगाया गया है परियोजना के प्रस्तावकों पर न्यायाधिकरण टिकाऊ है। वह अपीलों को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

34. हमने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. पक्षों के विद्वान वकील की अन्य दलीलों पर विचार करने से पहले, आइए हम पहले दायर की गई अपीलों में जांच के दायरे पर विचार करें।

धारा 22 के तहत, जो निम्नानुसार हैः

" 22. सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। - कोई भी व्यक्ति जो किसी से पीड़ित हो।

न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय, निर्णय या आदेश, न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय, निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5):

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय इसके बाद किसी भी अपील पर विचार कर सकता है

नब्बे दिनों की समाप्ति, यदि यह संतुष्ट है कि अपीलार्थी को अपील को प्राथमिकता देने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

36. यह तय किया जाता है कि अपील करने का कोई निहित अधिकार नहीं है जब तक कि क़ानून ऐसा प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, यदि कोई क़ानून किसी ऐसी शर्त का प्रावधान करता है जिसके अधीन उपयुक्त अपीलीय न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, तो न्यायालय खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है कि क्या निर्धारित शर्त पूरी हुई है। बिना अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग

वैधानिक अधिदेश की पूर्ति अधिकार क्षेत्र के बिना होगी। इसलिए, धारा 22 के तहत प्रदान किए गए अपील के अधिकार को उसमें प्रदान की गई शर्तों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।

37. धारा 22 सी. पी. सी. की धारा 100 में निर्दिष्ट आधारों पर उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान करती है। धारा 100 के तहत

सी. पी. सी., एक अपील केवल इस आधार पर दायर की जा सकती है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा तैयार किया जा सकता है। इसलिए, धारा 22 के तहत अपील का दायरा पर्याप्त तक सीमित है।

न्यायाधिकरण के निर्णय से उत्पन्न होने वाले कानून का प्रश्न। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रश्न कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है या नहीं, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा सर चुनीलाल वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम. सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, 1962 सप. (3) एससीआर 549। इस न्यायालय ने परीक्षण को निम्नानुसार निर्धारित किया हैः

" यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मामले में उठाया गया कानून का कोई प्रश्न पर्याप्त है, हमारी राय में, यह होगा कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या क्या यह प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करता है और यदि ऐसा है तो क्या यह या तो इस अर्थ में एक खुला

प्रश्न है कि इस न्यायालय द्वारा अंततः इसका निपटारा नहीं किया गया है। या प्रिवी काउंसिल या फेडरल कोर्ट द्वारा या MANTRI TECHZONE PVT से मुक्त नहीं है।

लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

वैकल्पिक विचारों की चर्चा के लिए कठिनाई या आह्वान। यदि प्रश्न का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है या प्रश्न का निर्धारण करने में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए जाते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का केवल एक सवाल है या यह कि उठाई गई याचिका स्पष्ट रूप से बेतुकी है, तो प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा।

कानून "।

38. यह समान रूप से तय किया गया है कि केवल इसलिए कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील का उपाय प्रदान किया गया है।

केवल कानून की, जो वास्तव में अपीलकर्ताओं को पूरे मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स की पुनः सराहना करने के लिए अपनी अपील को आंदोलन करने की अनुमति नहीं देता है। अपीलार्थी साक्ष्य के समग्र पुनर्मूल्यांकन की मांग करने के लिए अपने पूरे मामले पर पुनः बहस करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं और न्यायाधिकरण द्वारा जिस तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार किया गया है, वह धारा 22 के तहत प्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार्य है। इस प्रावधान के तहत किसी वैधानिक अपील में तथ्यों और साक्ष्य की नई सराहना या पुनः सराहना नहीं की जा सकती है।

39. विद्वान वकील द्वारा उठाया गया पहला प्रश्न न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन की रखरखाव के संबंध में है। 40. पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए भारत के संविधान की अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 13 में प्रदान किए गए संवैधानिक जनादेश के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। न्यायाधिकरण संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक विशेष न्यायिक निकाय है -

पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना गया है। इसलिए, पर्यावरण के प्रवर्तन के लिए न्यायाधिकरण के पास विशेष अधिकार क्षेत्र है

अधिकार।

41. न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 14,15 और 16 के तहत प्रदान किया गया है। धारा 14 सभी सिविल पर अधिकारिता प्रदान करती है।

ऐसे मामले जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) शामिल है। हालाँकि, ऐसा प्रश्न अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होना चाहिए।

42. न्यायाधिकरण के पास प्रदूषण के पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) और [2019] 4 एस. सी. आर. के तहत भी अधिकार क्षेत्र है।

निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत उत्पन्न होने वाली अन्य पर्यावरणीय क्षति अनुसूची I. इसके अलावा, धारा 15 (1) (बी) और 15 (1) (सी) के तहत न्यायाधिकरण क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली के लिए प्रावधान कर सकता है।

ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण जो न्यायाधिकरण उचित समझे। यह उल्लेखनीय है कि धारा 15 (1) (बी) और (सी) को अधिनियम की अनुसूची I अधिनियमों से संबंधित नहीं बनाया गया है। ठीक है, यह पर्यावरण की बहाली के संबंध में न्यायाधिकरण की व्यापक शक्तियों की एक झलक देता है।

43. अधिनियम की धारा 15 (1) (सी) एक पूरा द्वीप है

शक्ति और

अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित अधिकारिता। इस न्यायालय द्वारा कई न्यायिक निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान के सिद्धांतों को अब एनजीटी अधिनियम के तहत पर्यावरण न्यायशास्त्र के आधार के रूप में शामिल किया गया है। इसलिए, जहां कहीं भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से समझौता किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है, न्यायाधिकरण पर्यावरण के हित में पुनर्स्थापनात्मक उपाय करने के लिए धारा 20 लागू कर सकता है।

44. एनजीटी अधिनियम एक लाभकारी कानून होने के नाते, शक्ति

न्यायाधिकरण को दिए गए निर्णय को संक्षिप्त रूप से नहीं पढ़ा जाएगा। पर्यावरण के हितों को आगे बढ़ाने वाली व्याख्या को व्यापक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। (किशोर लाल बनाम देखें। अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य

बीमा निगम। (2007) 4 एस. सी. सी. 579, पैरा 17)। अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित धारा 15 (1) (सी) के तहत अपनी व्यापक पुनर्स्थापनात्मक शक्तियों के बिना न्यायाधिकरण का अस्तित्व, इसे अप्रभावी और दाँतहीन बना देगा, और विशेष रूप से पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना में विधायी इरादे के साथ विश्वासघात करेगा। न्यायाधिकरण, विशेष रूप से न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ पर्यावरण के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ गठित, पर्यावरण के हित में निवारक और पुनर्स्थापनात्मक उपायों का प्रावधान करने का कानूनी दायित्व रखता है।

45. अधिनियम की धारा 15 शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है,

इसकी धारा 14 से स्वतंत्र। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 15 (3) के साथ जुड़ी धारा 14 (3), न्यायाधिकरण के समक्ष अलग-अलग अवधि की सीमा के साथ अलग-अलग आवेदन दायर करने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र इन अवधियों से आता है।

धाराएँ (यानी अधिनियम की धारा 14 और 15) स्वतंत्र रूप से। धारा 14 में दी गई सीमा उस तारीख से 6 महीने की अवधि है जिस दिन कार्रवाई का कारण पहली बार सामने आया था और जबकि धारा 15 में यह

5 साल है। इसलिए, धारा 14 और 15 को स्व-निहित क्षेत्राधिकार के रूप में रखने का विधायी इरादा स्पष्ट है।

मंत्री तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

46. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 18 धारा 14 और 15 के तहत आवेदन दायर करने के अधिकार को मान्यता देती है। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि धारा 14 न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है जबकि धारा 15 केवल शक्तियों के साथ इसका पूरक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है। न्यायाधिकरण की विशिष्ट प्रकृति, अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ अनुसूचित अधिनियमों के तहत प्रदान की गई शक्तियों की व्यापकता, संचयी रूप से, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि इन प्रावधानों की एकमात्र स्थायी व्याख्या न्यायाधिकरण को प्रभावी अधिकार से ढकने के पक्ष में प्रावधानों को व्यापक रूप से पढ़ना होगा। अ.

व्याख्या जो अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के पक्ष में है, उसे अधिकार क्षेत्र छीनने के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

47. अधिनियम की धारा 33 किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी साधन में असंगत किसी भी चीज़ पर अधिनियम के प्रावधानों के लिए एक प्रबल प्रभाव प्रदान करती है। यह न्यायाधिकरण को के. आई. ए. डी. अधिनियम, योजना अधिनियम, कर्नाटक नगर निगम में निहित किसी भी असंगत चीज़ पर अधिकार देता है। निगम अधिनियम, 1976 ("केएमसी अधिनियम"); और बेंगलुरु का संशोधित मास्टर प्लान, 2015 ("आरएमपी")। भारत के संविधान की सूची I अनुसूची VII की प्रविष्टि 13 के तहत अधिनियमित एक केंद्रीय कानून का राज्य विधानों पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा। परिणाम यह है कि न्यायाधिकरण किसी क्षेत्र में पर्यावरण की बहाली का प्रावधान करते समय, इन कानूनों या आर. एम. पी. के तहत क्षेत्र निर्धारण नियमों के विपरीत विशिष्ट झीलों और जल निकायों के आसपास बफर ज़ोन निर्दिष्ट कर सकता है।

48. अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्न यह है कि याचिका समय द्वारा वर्जित है। अपीलार्थियों के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी थी प्रत्यर्थी संख्या 9 को 17.02.2012 पर दिया गया, जिसके लिए प्रमुख समाचार पत्र में 12.03.2012 और 14.03.2012 पर सूचना प्रकाशित की गई थी।

संशोधित भवन योजना को 30.08.2012 पर मंजूरी दी गई थी, जिसका पालन 10.08.2014 तक किया गया था। इसी तरह की घटनाएं प्रतिवादी संख्या 10 की परियोजना के संबंध में हुई थीं, जिन्हें 30.09.2013 पर पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। एनजीटी अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में इस तरह के विवाद के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आवेदन दायर किया जाना था। मान लीजिए, वर्तमान आवेदन मार्च, 2014 में दायर किया गया है और उनके अनुसार, यह सीमा की निर्धारित अवधि से बहुत अधिक है। इसके अलावा, मुख्य आवेदन के साथ देरी को माफ करने के लिए कोई आवेदन नहीं है। इसलिए, न्यायाधिकरण के पास देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50. वास्तव में, न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन में उस प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं था जिसके तहत इसे दायर किया जा रहा था। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि कानून के प्रावधान का गैर-उल्लेख या गलत उल्लेख किसी भी प्रासंगिकता का नहीं होगा, अगर न्यायालय के पास था आदेश पारित करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र। यह केवल एक अनियमितता होगी और न्यायाधिकरण के आवेदन या न्यायिक आदेश को दूषित नहीं करेगी।

51. 2016 के सीए No.5016 में अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर. वेंकटरमानी ने प्रस्तुत किया है कि निर्माण। पर्यावरण मंजूरी देने से पहले शुरू नहीं किया गया था। के. एस. पी. सी. बी. के अध्यक्ष की दिनांकित निरीक्षण रिपोर्ट 11.01.2012

यह बताता है कि निरीक्षण की तारीख को "कोई निर्माण" शुरू नहीं हुआ था। इस रिपोर्ट को मलबे के कुछ डंपिंग के आधार पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है जिसका श्रेय अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने अगस्त 2015 के महीने में न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट की ओर इशारा किया है, जिसमें कहा गया था कि "मंजूरी प्राप्त करने के बाद इसका निर्माण शुरू हुआ"। इस संबंध में उन्होंने हमें अभिलेख पर रखे गए विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत किया है कि प्रभाव के मूल्यांकन के बिना निगरानी जुर्माना/मुआवजा लगाने में कोई औचित्य नहीं है। 52 .....न्यायाधिकरण ने अगस्त 2015 की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि अपीलार्थी ने 3 एकड़ 10 भूमि का अतिक्रमण किया था।

बेलंदूर झील के गुंटा और एन. टी. आर. आई. टेकजोन पी. वी. टी. के आसपास एक चारदीवारी खड़ी की गई है।

लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन

[एस. अब्दुल नजीर, जे.]

आईडी भूमि। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया है कि परियोजना के प्रस्तावक

कर्नाटक राज्य द्वारा गठित संवेदनशील क्षेत्र समिति से। यहाँ रिकॉर्ड की गई सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा कई अन्य उल्लंघन किए गए हैं। द.नल ने पैरा 52 के बाद से इन सभी मुद्दों पर चर्चा की है। अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से यह भी पता चलता है कि परियोजनाओं से पर्यावरण, पारिस्थितिकी, झीलों और आर्द्रभूमि के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की निश्चित संभावना है। यही कारण है कि न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" 72. परियोजना के उपरोक्त दायरे और न्यायाधिकरण के समक्ष अभिलेखों और परियोजना प्रस्तावकों की ओर से चूक के आलोक में,

द्वारा की गई गतिविधियों के संचयी प्रतिकूल प्रभाव

हमारे सामने उत्तरदाताओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

1) दोनों परियोजनाओं का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका था।

पर्यावरण मंजूरी के लिए अनुदान।

2) 2006 की ई. आई. ए. अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण मंजूरी के बिना कोई भी परियोजना अपनी गतिविधि शुरू नहीं कर सकती है।

यह प्रतिबंध न केवल परियोजना के संचालन पर लागू होता है

लेकिन स्थापना के उद्देश्यों के लिए भी।

3) राजस्व मानचित्र की छवियाँ विचाराधीन परियोजना (परियोजनाओं) के माध्यम से बहने वाले कई राजकालुवों को दिखाती हैं। छवियाँ आगे दिखाती हैं

राजकलुवेस पर अतिक्रमण। 4) गूगल उपग्रह छवियों पर उपलब्ध भूमि की डिजिटल छवियाँ

दो प्रमुख राजकालुवों पर अतिक्रमण दिखाना। 5) गूगल अभिलेखागार से प्राप्त गूगल उपग्रह चित्र स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे पहले, 13 नवंबर, 2000 और 23 नवंबर, 2010 की अवधि के बीच आर्द्रभूमि क्षेत्र में परिवर्तन। दूसरा, यह उत्तरदाता संख्या द्वारा किए गए उत्खनन कार्य का खुलासा करता है। 9 और 10 प्राप्त करने से पहले शुरू हुआ

पर्यावरण मंजूरी।

6) केंद्रीय भूजल की अनुमति के रूप में भूजल के निष्कर्षण के संबंध में प्रतिबंध का सख्ती से पालन नहीं किया गया था

निर्माण से पहले प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया गया था।

7) प्राकृतिक ढलान पैटर्न के संबंध में स्थितियाँ

परियोजना स्थल [2019] 4 एस. सी. आर. का अपरिवर्तित और प्राकृतिक जलविज्ञान बना रहेगा।

परियोजना क्षेत्र के भीतर और/या आसपास झीलों और अन्य जल निकायों के संबंध में तूफान के पानी के प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित और संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्रः एम. ओ. ई. एफ. द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शर्त संख्या। (XXX) और (XL) प्रत्यर्थी संख्या की पर्यावरण मंजूरी में। 9 इसका अनुपालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप परियोजना स्थल के प्राकृतिक ढलान पैटर्न और क्षेत्र के प्राकृतिक जल विज्ञान में कुछ बदलाव होगा। इसने नोट किया कि परियोजना क्षेत्र बेलंदूर के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है।

झील और परियोजना अधिकारियों ने सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती उपाय करेंगे कि झील निर्माण या संचालन के दौरान परियोजना गतिविधियों से प्रभावित न हो।

चरण "।

53. अनुच्छेद 81 में न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" 81 ..... एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसे न्यायाधिकरण द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह प्रतिवादी संख्या के संबंध में है। 9 & 10 अपनी परियोजना गतिविधि को पूरी तरह से जानते हुए जारी रखते हैं कि वे असमर्थ थे या उनके लिए शर्त संख्या का पालन करना संभव नहीं था। प्रदान करने वाले आदेश में XXXX और XL (या समान शर्तें)

पर्यावरण मंजूरी। एम. ओ. ई. एफ. ने 14 अगस्त, 2013 की अपनी निगरानी रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया है। इन उत्तरदाताओं ने इनमें बदलाव या संशोधन के लिए कभी आवेदन नहीं किया।

और अपनी निर्माण गतिविधियों को जारी रखा। यह इन उत्तरदाताओं को पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षति और उनकी बहाली और पुनर्स्थापना के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बनाता है।

54. हमारे विचार में, न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष न केवल उन दस्तावेजों पर हैं जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे, बल्कि उन दस्तावेजों पर भी हैं जो समिति के टी और विशेषज्ञ सदस्यों के निरीक्षण नोट द्वारा समर्थित पक्षों द्वारा किए गए थे। इसलिए, दोनों परियोजनाओं पर न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए राष्ट्र और लगाए गए दंड वैध और टिकाऊ हैं और किसी भी विकृति से पीड़ित नहीं हैं।

55. हमारा यह भी विचार है कि अपीलार्थियों के लिए पुनः मूल्यांकन की पद्धति के माध्यम से एक तथ्यात्मक समीक्षा की अनुमति नहीं है।

एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 22 के तहत इस न्यायालय द्वारा।56. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. वेंकटरमानी ने भी न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित साइडरी मुद्दा उठाया है। उनके अनुसार, प्रतिवादी मंत्री टेक्नोलॉजी पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

नं. 12 और 13 ने प्रतिनिधि क्षमता में समान राहत की मांग करते हुए रिट याचिका Nos.3656-57/2013 दायर की। उसमें उठाए गए मुद्दे वही हैं जो न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन में दिए गए हैं। जिन राहतों की मांग की गई है, वे अनिवार्य रूप से समान हैं। इसलिए, आवेदनों को रेस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया जाता है।

57. न्यायाधिकरण ने आदेश के पैराग्राफ 47 से 51 में इस मुद्दे का जवाब दिया है। जहाँ तक रिट याचिकाएँ दायर करने का संबंध है, कोई विवाद नहीं था। हालाँकि, पक्षकार सामान्य नहीं हैं और न ही आवेदन में मुद्दे और रिट याचिकाएँ प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक समान हैं। अभिवचनों की जांच के बाद, न्यायाधिकरण ने इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया है कि कार्रवाई के कारण या निर्णयों के बीच टकराव की संभावना की कोई समानता नहीं है। प्रार्थनाएँ और उत्पत्ति

संबंधित कार्यवाहियाँ अपने दायरे और राहत में पूरी तरह से अलग और अलग हैं। न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दे अनिवार्य रूप से पर्यावरण पारिस्थितिकी और इसकी बहाली से संबंधित होंगे, जबकि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही भूमि के अधिग्रहण, इसके आवंटन और तीसरे पक्ष को हस्तांतरण के साथ पूरी तरह से अलग मुद्दों से संबंधित है। दोनों कार्यवाहियों में ये मुद्दे न तो महत्वपूर्ण हैं और न ही भौतिक रूप से समान हैं।

58. इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला हैः

" 51 ..... इन कारणों से, हम प्रतिवादी संख्या के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। 9 और 10. रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का उद्देश्य न्यायिक निर्णयों को अंतिमता और निर्णायकता प्रदान करने के साथ-साथ मुकदमेबाजी की बहुलता से बचना है। वर्तमान में

मामले में, मुद्दों को फिर से आंदोलन करने या दो अलग-अलग कार्यवाहियों में समान मुद्दों को आंदोलन करने का सवाल ही नहीं उठता है। अधिकारिता का दायरा और दायरा स्पष्ट रूप से समझने योग्य है। कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय और इस न्यायाधिकरण की अधिकारिता अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रही है और जहां तक इन याचिकाओं में सीधे और पर्याप्त रूप से उठाए गए मुद्दों के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के समक्ष अनुरोध किए गए राहतों का संबंध है, उनमें कोई समानता नहीं है। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों में कोई समानता नहीं है। दोनों कार्यवाहियों में 'कार्रवाई का कारण' अलग-अलग और विशिष्ट है। एक कार्यवाही में काफी हद तक और भौतिक रूप से जारी मामले दूसरी कार्यवाही में समान नहीं हैं। न्यायाधिकरण [2019] 4 एस. सी. आर. द्वारा परस्पर विरोधी निर्णय सुनाए जाने की शायद ही कोई संभावना है।

एक ओर उच्च न्यायालय और दूसरी ओर उच्च न्यायालय। इसलिए, हमारा विचार है कि वर्तमान अनुप्रयोग न तो न्यायपालिका के सिद्धांतों से प्रभावित हैं और न ही रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों से। हम यह भी मानते हैं कि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को अंतिम निर्णय में बदलने से 'न्यायिक औचित्य' के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि न्यायाधिकरण के समक्ष रिट याचिकाएं लंबित हैं।

कर्नाटक का माननीय उच्च न्यायालय। ”

59. हम नल के उपरोक्त निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण को अभिनिर्धारित करने में उचित ठहराया गया था

प्रत्यर्थी सं. द्वारा की गई आपत्तियाँ। 9 और 10 संतुष्ट नहीं करते हैं

रेस जुडिकाटा के अनुप्रयोग को आकर्षित करने के लिए ए. एस. आई. सी. सामग्री या

रूक्टिव रेस जुडिकाटा।

60. कर्नाटक राज्य निम्नलिखित अपराधों से व्यथित है।

दिनांकित 04.05.2016 आदेश के बारे में:

" 1. मुख्य निर्णय में हमारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि जल निकायों (झीलों और राजकलेवास) से दूरी का निर्धारण अंतर्निहित विरोधाभास, कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त है और बिना किसी वैज्ञानिक औचित्य के है। आरएमपी - 2015 यह प्राथमिक राजकलेवा के मामले में राजकलेवा के बीच से 50 मीटर, माध्यमिक राजकुलेवा के मामले में 25 मीटर और तृतीयक राजकुलेवा में 15 मीटर की दूरी तय करता है, जो झील के मामले में 30 मीटर के विपरीत है जो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है।

जल निकाय और जल निकाय/आर्द्रभूमि के रूप में इसकी उपयोगिता निश्चित रूप से गीली भूमि का हिस्सा है। इस प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि दूरी में उत्तरदाताओं का मामला सं। 9 और 10 राजकुलेवास, जल निकायों से

और आर्द्रभूमि को निम्नानुसार बनाए रखा जाएगाः

(i) झीलों के मामले में, जल निकाय की परिधि से 75 मीटर दूर सभी झीलों के लिए ग्रीन बेल्ट और बफर ज़ोन के रूप में बनाए रखा जाएगा।

मौजूदा जल निकाय अर्थात झीलें/आर्द्रभूमि।

((ii) प्राथमिक राजकुलेवास के किनारे से 50 मीटर की दूरी पर। (iii) द्वितीयक राजकुलेवास के मामले में किनारों से 35 मीटर

(iv) तृतीयक राजकुलेवास के मामले में किनारों से 25 मीटर

इस बफर/ग्रीन ज़ोन को नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन 1 के इरादे और उद्देश्यों के रूप में माना जाएगा। यह विशेष रूप से पारिस्थितिकी और विचाराधीन क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए अक्षय विकास के उद्देश्यों के लिए बिल्कुल आवश्यक है।

मंत्री तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. फॉरवर्ड फाउंडेशन [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए सभी अपमानजनक निर्माण संख्या। 9 और सीमा दीवार सहित किसी भी प्रकार के 10 को ध्वस्त कर दिया जाएगा जो गिरता है।

ऐसे क्षेत्रों में। जहाँ भी आवश्यक ड्रेजिंग संचालन की आवश्यकता होती है,

जल प्रसार क्षेत्र और/या आर्द्रभूमि की मूल क्षमता को बहाल करने के लिए भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। न केवल मौजूदा निर्माण को हटाया जाएगा, बल्कि इनमें से किसी भी उत्तरदाता को नहीं हटाया जाएगा- परियोजना प्रस्तावक

इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।

सभी प्राधिकरण विशेष रूप से झील विकास प्राधिकरण बैंगलोर के सभी जल निकायों/झीलों के संबंध में इस कार्रवाई को अंजाम देंगे।

61. हम पहले ही देख चुके हैं कि श्री पूवय्या को प्रतिवादी Nos.9 और 10 द्वारा दायर अपीलों को छोड़कर सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं के आदेश के उपरोक्त विवादित हिस्से को दरकिनार करने पर कोई आपत्ति नहीं है। आदेश के उपरोक्त भाग में न केवल सामान्य शामिल हैं निर्देश लेकिन प्रत्यर्थी संख्या के खिलाफ कुछ निर्देश भी। 9 और 10. अतः आदेश का केवल वह भाग जो प्रत्यर्थी सं. 9 और 10 को रद्द करने की आवश्यकता है।

62. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम निम्नलिखित पारित करते हैं -

आदेशः

i) 2016 की सिविल अपील सं. 5016 और सिविल अपील सं. 8002-8003 अपीलार्थियों/प्रत्यर्थी सं. 2016 द्वारा दायर किया गया। 9 और 10 को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। जहाँ तक अपीलार्थी/प्रत्यर्थी संख्या है, विवादित निर्णय और आदेश। 9 और 10 संबंधित हैं

कायम रहा।

ii) अन्य सभी अपीलों की एतद्वारा अनुमति दी जाती है और 4.5.2016 दिनांकित आदेश में निर्देश/शर्त संख्या (1) को इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है, सिवाय प्रतिवादी संख्या के खिलाफ जारी किए गए निर्देश के। 9 और 10.

63. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपी

लों का निपटारा किया गया।